

प्रेमक,

श्री अमोक गांगुली,
उपस्थित सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समूहाय, केन्द्र
प्रगति विहार मई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 6 जुलाई 1990

विषय:- सर्वप्रथम पञ्जाब स्कूल न्यू पानियाला रोड रुड़की को सी०बी०एस० की नहीं दिल्ली को सी०बी०एस० की नहीं दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपस्थित विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सर्वप्रथम पञ्जाब स्कूल न्यू पानियाला रोड रुड़की को सी०बी०एस० की नहीं दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतायटी का सम्यक् समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैधिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसि कार डि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वेलिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि के परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था वैधिक एवं शिक्षणकार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देतमानों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे ।

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशांकीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड नियमित प्रपत्र/परिचिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

1- विद्यालय में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जायेगी तथा अपकर्मियों के साथ वगैरह जैसी कर्मचारियों को भी नियमानुसार वेतन दिया जायेगा।

2- प्रधानाचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की जायेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है संध्या पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

पृष्ठ 10 111/15-7-1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, मखनऊ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मखनपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मखनपुर।
- 4- निरीक्षक, आरंभ भारतीय विद्यालय उ०प्र० मखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सर्वज्ञ पब्लिक स्कूल न्यू मनिपाला रोड रुड़की हरिद्वार।

आशा है,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

Principal
Sarvagya Public School
Roorkee